



# पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

## सराहनीय कार्य

दिनांक 29.03.2021

1-थाना बादलपुर पुलिस द्वारा दो अवैध शराब तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 130 लीटर अवैध अपमिश्रित शराब व सेन्ट्रो कार बरामद।

दिनांक 28.03.2021 को थाना बादलपुर पुलिस द्वारा अवैध अपमिश्रित शराब की तस्करी करने वाले 02 अभियुक्तो राजकुमार पुत्र हरीचन्द निवासी ग्राम दुजाना थाना बादलपुर जिला गौतमबुद्धनगर 2. पुनित पुत्र वीरभान सिंह निवासी ग्राम विजपुरी थाना भिन्ड जनपद भिन्ड मध्य प्रदेश वर्तमान पता म0न0 सी-117 शंकर बिहार फेस-2 चिपियाना बुजुर्ग थाना बिसरख जिला गौतमबुद्धनगर को नहरवाई के खण्डर मकान दुजाना पुलिया से गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 138 ली0 अपमिश्रित अवैध शराब व एक सेन्ट्रो कार बरामद की गयी है।

### **अभियुक्तो का विवरण-**

1. राजकुमार पुत्र हरीचन्द निवासी ग्राम दुजाना थाना बादलपुर जिला गौतमबुद्धनगर,
2. पुनित पुत्र वीरभान सिंह निवासी ग्राम विजपुरी थाना भिन्ड जनपद भिन्ड मध्य प्रदेश वर्तमान पता म0न0 सी-117 शंकर बिहार फेस-2 चिपियाना बुजुर्ग थाना बिसरख जिला गौतमबुद्धनगर

### **पंजीकृत अभियोग का विवरण-**

1. मु0अ0स0 77/21 धारा 420, 272 भादवि0 व 60/62/63/72 आब0अधि0 थाना बादलपुर बनाम राजकुमार व पुनित
2. मु0अ0स0 1/21 धारा 420 भादवि0 व 60/63 आब0अधि0 थाना बादलपुर बनाम राजकुमार
3. मु0अ0स0 02/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बादलपुर जनपद गौतमबुद्धनगर बनाम राजकुमार

## बरामदगी का विवरण-

1. 130 ली० अपमिश्रित अवैध शराब
2. घटना में प्रयुक्त एक सेन्ट्रो कार नम्बर एचआर 51 वी 1608



2- थाना एक्सप्रेसवे पुलिस द्वारा 01 शराब तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 45 पेटी मिस इंडिया देशी अवैध शराब यूपी मार्का व 02 पेटी हरियाणा मार्का अवैध शराब कुल 2265 पव्वे शराब (कीमत लगभग 2 लाख रूपये,) बरामद ।

दिनांक 29.03.2021 को थाना एक्सप्रेसवे पुलिस द्वारा एक शराब तस्कर अमित पुत्र सच्चे रामपल निवासी ग्रामा गेझा सेक्टर 93 नोएडा गौतमबुद्धनगर को पुस्ता रोड सेक्टर 128 गढी गांव के सामने से गिरफ्तार किया गया है । अभियुक्त के कब्जे से 45 पेटी मिस इण्डिया देशी शराब मार्का यू०पी० व 144 पव्वे 03 प्लास्टिक कट्टो मे व 2 पेटी देशी संतरा हरियाणा मार्का पव्वे अवैध शराब कुल 2265 पव्वे(कीमत लगभग 2 लाख रूपये) बरामद हुई है।

## अभियुक्त का विवरण-

अमित पुत्र सच्चे रामपल नि० ग्राम गेझा सै० 93 नोएडा

## पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1. मु०अ०सं० 80/2021 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना एक्सप्रेसवे गौतमबुद्धनगर।
2. मु०अ०स० 925/19 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना फेस-2 गौतमबुद्धनगर।

## बरामदगी का विवरण-

45 पेटी मिस इण्डिया देशी अवैध शराब मार्का यू0पी0 व 144 पच्चे 03 प्लास्टिक कट्टो मे व 2 पेटी देशी संतरा हरियाणा मार्का पच्चे अवैध शराब कुल पच्चे 2265



3- थाना बिसरख पुलिस द्वारा अवैध शराब की तस्करी करने वाला 01 अभियुक्त मय 50 पेटी (2500 पच्चे) अवैध शराब हरियाणा मार्का मय एक टैम्पो रजि0नम्बर डी एल 1 एल जे 5536 के साथ गिरफ्तार ।

दिनांक 28.03.2021 को थाना बिसरख पुलिस द्वारा 01 शराब तस्कर अभियुक्त नवनीत प्रताप सिंह पुत्र नरेश पाल सिंह निवासी 325 ब्लॉक श्याम नगर कानपुर वर्तमान आर्यन अस्पताल के पास ट्रॉनिका सिटी लोनी गाजियाबाद को मय 50 पेटी (2500 पच्चे कुल ) अवैध /प्रतिबंधित शराब हरियाणा मार्का मय एक टैम्पो रजि0नम्बर डी एल 1 एल जे 5536 के साथ तिगरी गेट के पास से गिरफ्तार किया गया है।

## अभियुक्त का विवरण-

नवनीत प्रताप सिंह पुत्र नरेश पाल सिंह निवासी 325 ब्लॉक श्याम नगर कानपुर हाल आर्यन अस्पताल के पास ट्रॉनिका सिटी लोनी गाजियाबाद ।

## पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 203/2021 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर

## बरामदगी का विवरण-

50 पेटी (2500 पच्चे कुल) अवैध /प्रतिबंधित शराब हरियाणा मार्का।

